भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 481
बुधवार, 7 फरवरी, 2024 (18 माघ, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

देश में बहु-राज्य सहकारी समितियां

481 श्री अयोध्या रामी रेड्डी आलाः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय बहु-राज्य सहकारी समितियों के भीतर विशेषकर पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित संघारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है;

(ख) क्या सरकार छोटी बहु-राज्य सहकारी समितियों को उनकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ऋण और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में सहायता प्रदान करती है; और

(ग) सरकार किस तरीके से बहु-राज्य सहकारी समितियों के नेतृत्व और निर्णय लेने वाले ढांचे के भीतर विभिन्न क्षेत्रों और जनसांख्यिकी का निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत सहकारी समितियां स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य करती हैं तथा अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होती हैं। बहु-राज्य सहकारी समितियां, बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के साथ पठित समिति के अनुमोदित उपविधियों के उपबंधों के अनुसार कार्य करती हैं। "समुदाय के प्रति सरोकार" सहकारी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किया गया है जो निम्नलिखित कथन करता है कि:

> 'सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते समय सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा स्वीकृत नीतियों के माध्यम से समुदाय के संवहनीय विकास के लिए कार्य करते हैं ।'

इसके अलावा, दिनांक 06.08.2023 को सहकारी समितियों कें केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) कार्यालय के लिए एक डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ताकि कार्यकुशलता में वृद्धि, सुगम व्यवसाय में वृद्धि और कागज-रहित 'हरित' पर्यावरण अनुकूल विनियमन को गति प्रदान करने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के साथ समस्त परस्पर वार्ता और संवाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो सके । 'कागज-रहित' कार्यकरण को आगे सशक्त करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 120A (दिनांक

03.08.2023 को अधिसूचित बहुराज्य सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से अंतर्विष्ट) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में आवेदन, दस्तावेज, निरीक्षण रिपोर्ट, आदि दाखिल करने का उपबंध करता है ।

(ख): जी हां, मान्यवर। आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के क्रेडिट और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

i. केंद्रीय सरकार द्वारा रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितयों के पुनरुद्धार और विकास के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 63A के अनुसरण में पुनर्वास**,** पुनर्गठन और विकास फंड (CRRDF) स्थापित किया गया है जो विनिर्दिष्ट करता है कि विगत तीन वित्तीय वर्षों से लाभ में रहने वाली बहुराज्य सहकारी समितियां इस फंड में सालाना एक करोड़ रुपए या ऐसी बहुराज्य सहकारी समितियों के निवल लाभ का एक प्रतिशत**,** जो भी कम हो क्रेडिट करेंगी ।

ii. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से गैर-मतदान वाले शेयर जारी करने के भी उपबंध किए गए हैं जो बहुराज्य सहकारी समिति के प्रबंधन में मताधिकार, बोर्ड के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या साधारण निकाय की बैठकों में प्रतिभाग करने सहित कोई हित प्रदान नहीं करते है । इससे बहुराज्य सहकारी समितियां अपनी पूंजी आधार में वृद्धि कर सकेंगी ।

(ग): बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीट और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित की गयी है।

*****